भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3373

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का संशोधन

3373. श्री डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र में पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विगत श्रम वर्षों के दौरान पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि कई यूनियनों द्वारा पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई गई है और उनके द्वारा इस हेतु आंदोलन किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु कोई समिति गठित की गई है अथवा गठित करने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपए प्रति माह तक के वेतन के लिए वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्य निर्धारण वार्षिक रूप से किया जाता है।

जारी..2/-

सरकार ने, पहली बार वर्ष 2014 में, बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में प्रत्येक माह जिला स्तर पर एक मासिक पहल की जाती है जिसमें प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से हितधारकों को योजना के लाभों के बारे में बताया जाता है।

ईपीएफओ ने ईपीएस, 1995 के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ सौंपने के लक्ष्य से प्रयास नामक एक पहल भी शुरू की है। इस योजना के लाभों को आसानी से समझने के लिए यूट्यूब, एक्स और फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर ऑडियो विजुअल माध्यमों से सूचनात्मक संदेश नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं।

*****